



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
छात्र कल्याण विभाग

क्रमांक 102 / अ0छा0क0 / ए0 रै0 / 2023

भोपाल, दिनांक 14-3-2023

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष,  
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, एवं  
प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

विषय:- उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, अधिनियम 2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

सत्रारंभ की हार्दिक शुभकामनाएँ

विषयान्तर्गत निवेदन है कि नये शिक्षा सत्र 2023-24 का शुभारंभ हो चुका है इसी परिप्रेक्ष्य में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अधिनियम 2009 के अनुसार विभिन्न समितियों का गठन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही की जानी है। एण्टी रैंगिंग अधिनियम 2009 की समस्त जानकारी यू0जी0सी0 की वेबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) से प्राप्त की जा सकती है।

अनुरोध है कि कृपया सत्र 2023-24 के लिए उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर आपके द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी यू0जी0सी0 कार्यालय को भजवाते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्तक्षरकर्ता कार्यालय को भेजन का कष्ट करें।

धन्यवाद

भवदीय

(डॉ0 आई0के0 मंसूरी)  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 14/3/23

पू0 क्रमांक 103 / अ0छा0क0 / ए0 रै0 / 2023  
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (एण्टी रैंगिंग सेल) की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 311 सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (एण्टी रैंगिंग सेल) की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
6. निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलसचिव जी की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय आई.टी. सेल की ओर सूचनार्थ एवं इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रमुखता के साथ अपलोड हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

(प्रो0 पवन मिश्रा)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल